[2022] 17 एस. सी. आर 622

श्रद्धा गुप्ता

वि.

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2022 की आपराधिक अपील सं. 569-570)

26 अप्रैल, 2022

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, न्यायामूर्तिगण]

उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 – धारा 2 और 3 – छः आरोपियों के खिलाफ भा.द.स. की धारा 147, 304, 504, 323, 506, 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया- अग्रिम अन्वेषण और सह-आरोपियों के बीच कॉल रिकार्डिंग के आधार पर, अपीलार्थी का नाम मामले में आरोपी के रूप में जोड़ा गया था- इसके बाद, अपीलार्थी के खिलाफ एक गिरोह नक्शा तैयार किया गया था और अपीलार्थी के खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2/3 दायर/दर्ज की गई थी- अपीलार्थी ने उसके खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2/3 के तहत दर्ज की गई एफ.आई.आर. एवं आदेश को निरस्त करने के लिए द.प्र.स. की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की- अपीलार्थी द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि उसका नाम एफ.आई.आर. में नहीं था और उसका नाम धारा 173 (8) द.प्र.स. के तहत आगे के अन्वेषण में सामने आया है - उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को निरस्त कर दिया है और गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2/3 के तहत आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने से इनकार कर दिया है - चाहे वह व्यक्ति जिसके खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम, 1986 की धारा 2 (बी) में उल्लेखित समाज विरोधी क्रियाकलापों के लिए एक ही एफ.आई.आर/आरोप पत्र दायर किया गया है, उस पर गिरोहबंद अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। गिरोहबंद अधिनियम 1986, के तहत 'गिरोह' और 'गिरोहबंद' की परिभाषाओं के अवलोकन पर, एक 'गिरोह' एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह है जो अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से परिभाषा खंड में उल्लेखित अपराध करता है, चाहे वह आर्थिक, भौतिक या अन्यथा हो- गिरोह द्वारा किया गया एक भी अपराध गिरोह के ऐसे सदस्यों पर गिरोहबंद अधिनियम लगाने के लिए पर्याप्त है– परिभाषा खंड गिरोहबंद अधिनियम लागू होने से पहले अपराध की बहुलता को शामिल नहीं करता है - 'गिरोहबंद' अधिनियम, 1986 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 तथा, गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम ,2015 के विशिष्ट प्रावधानों की तरह कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है कि गिरोहबंद अधिनियम के तहत एक आरोपी

पर मुकदमा चलाते समय, एक से अधिक अपराध या एफ.आई.आर./आरोप-पत्र होगा - इसलिए, जहां तक 'गिरोहबंद' अधिनियम, 1986 का संबंध है वहां अधिनियम की धारा 2(बी) में उल्लेखित किसी भी समाज विरोधी क्रियाकलापों के लिए एकल अपराध/एफ.आई.आर./आरोप-पत्र के मामले में भी किसी व्यक्ति के खिलाफ वहां अभियोजन हो सकता है।

न्यायालय ने अपील निरस्त करते हुए, प्रतिपादित किया :

1. 'गिरोह' की परिभाषाओं के निष्पक्ष अध्ययन पर गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2(बी) में निहित 'गिरोह' और धारा 2(सी) में निहित 'गिरोहबंद' का अर्थ है किसी गिरोह का सदस्य या नेता या आयोजक, जिसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है, जो, धारा 2 के खंड (बी) में उल्लेखित गिरोह के क्रियाकलापों को बढ़ावा देता है या सहायता करता है, जो या तो अकेले या सामूहिक रूप से कार्य करता है और धारा 2(बी) में उल्लिखित किसी भी समाज विरोधी क्रियाकलापों में शामिल होता है, कहा गया है कि उसने गिरोहबंद अधिनियम के तहत अपराध किया है और उस पर गिरोहबंद अधिनियम के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। गिरोहबंद अधिनियम, 1986 के तहत कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जैसा कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 और गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2015 के तहत विशिष्ट प्रावधान है कि गिरोहबंद अधिनियम के तहत किसी आरोपी पर मुकदमा चलाते समय, एक से अधिक अपराध या एफ.आई.आर./आरोप-पत्र होना चाहिए। विधि की स्थापित स्थिति के अनुसार कानून के प्रावधानों को ज्यों का त्यों पढ़ा और माना जाता है। इसलिए गिरोहबंद अधिनियम, 1986 के तहत प्रावधानों पर विचार करते हुए, एकल अपराध/एफ.आई.आर./आरोप-पत्र के मामले में भी, यदि यह पाया जाता है कि आरोपी एक 'गिरोह' का सदस्य है और गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2(बी) में उल्लिखित समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल है जैसे हिंसा या धमकी, या हिंसा का प्रदर्शन, या डराना, या जबरदस्ती या अन्यथा लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करना या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से क्रियाकलाप करना और उसे अधिनियम की धारा 2(सी) की परिभाषा के भीतर 'गिरोहबंद' कहा जा सकता है, उस पर गिरोहबंद अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए, जहां तक गिरोहबंद अधिनियम, 1986 का सवाल है, अधिनियम की धारा 2(बी) में उल्लिखित किसी भी समाज विरोधी क्रियाकलापों जो लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उदद्येश्य से हिंसा, या धमकी या हिंसा का प्रदर्शन, या धमकी, या जबरदस्ती या अन्यथा क्रियाकलाप करते हैं, के लिए एकल अपराध/एफ.आई.आर./आरोप-पत्र के मामले में भी किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। [पैरा 10] [635-बीजी]

2. हस्तगत मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि मुख्य आरोपी एक गिरोह का सरगना था और जो मास्टरमाइंड था और उसने आर्थिक लाभ के लिए मृतक एस की हत्या करने के लिए अपीलार्थी सहित अन्य सह-अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश रची थी क्योंकि परिवार के सदस्यों के बीच लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अन्य सह-अभियुक्तों पर पहले से ही गिरोहबंद अधिनियम के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर था/मुकदमा चलाया गया था और इसलिए अपीलार्थी और अन्य दो सह अभियुक्तों पर भी 'गिरोह' के सदस्य होने के नाते अन्य सह-अभियुक्तों की तरह गिरोहबंद अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की आवश्यकता थी। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि गिरोहबंद अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ कोई अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता है। [पैरा11] [635 - एच; 636-एसी]

पीयूष कांतिलाल मेहता बनाम पुलिस आयुक्त,अहमदाबाद शहर 1989 सप्लिमेंट (1) एस. सी. सी. 322: [1988] 3 सप्लिमेंट एस. सी. आर. 1081; करनसिंह चेतनसिंह वाघेला बनाम गुजरात राज्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात 1260 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

[1988] 3 सप्लिमेंट एस. सी. आर. 1081; संदर्भित **पैरा 3.4**

आपराधिक अपीली क्षेत्राधिकार; 2022 की आपराधिक अपील संख्या 569-570।

इलाहाबाद उच्च् न्यायालय के 2019 की आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 21964 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.09.2019 और आपराधिक विविध पुनर्विचार आवेदन संख्या 2 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.11.2020 से उद्भूत।

दिब्येश प्रताप सिंह, संजय सिंह, विक्रम प्रताप सिंह, सुश्री शिवांगी सिंह, सुश्री इशिता बेदी, अपीलार्थी के अधिवक्तागण।

संजय कुमार त्यागी, अजय कुमार प्रजापति, प्रभात कुमार राय , सुवोदीप रॉय , श्रेयस बालाजी, ईशान बोरठाकुर, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण।

न्यायमूर्ति एम.आर.शाह. के द्वारा निर्णय घोषित किया गया।

1. इलाहाबाद उच्च् न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 21964/2019 में पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 27.09.2019 और आपराधिक विविध पुनर्विचार आवेदन संख्या 2/2019 में पारित पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 10.11.2020 से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, मूल अभियुक्त, श्रद्धा गुप्ता जिनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों

(निवारण) अधिनियम , 1986 (एतदपश्चात गिरोहबंद अधिनियम, 1986) की धारा 2/3 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज है, ने हस्तगत अपीलें दायर की हैं।

2. हस्तगत अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

प्रत्यर्थी क्र. 4 (मूल सूचनाकर्ता) द्वारा 24.05.2016 को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की दी गई थी कि उसकी बहन और उसके परिवार के सदस्यों की आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् (1) श्रवण कुमार (यहां अपीलार्थी के पति), (2) गुड्डू उर्फ सुधांशु, (3) मुन्ना उर्फ ब्रजेंद्रनाथ शर्मा, (4) कमल शर्मा और (5) भूरे, के साथ पहले से दुश्मनी थी। दिनांक 23.05.2016 को उसकी बहन कुमारी साधना शर्मा, प्रभारी, डी.जी.सी. (आपराधिक), जिला न्यायाधीश, बदायूँ के न्यायालय में सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी करने के लिए अपनी स्कूटी से अदालत गई थीं। भूरे व अन्य की जिला न्यायाधीश, बदायूँ के न्यायालय में उपस्थिति के लिए सुनवाई की तारीख थी। शाम करीब 5:30 बजे उसकी बहन नौकर बिहारी द्वारा चलाई जा रही स्कूटी की पिछली सीट पर बैठकर बदायूं से उझानी लौट रही थी। जब स्कूटी बालाजी मंदिर के पास पहुंची तो उन्हें मंदिर के पास एक कार खड़ी दिखी जिसमें उपरोक्त सभी आरोपी मौजूद थे। कार ने उसकी बहन साधना की स्कूटी का पीछा किया और जब वह जिओरलिया गांव के पास पहुंची, तो आरोपियों की कार ने उसकी बहन की स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे साधना और बिहारी दोनों सड़क पर गिर गए। तभी आरोपियों ने अपनी कार उसकी बहन की ओर बढ़ा दी और बिहारी के पास रोका और चिल्लाए, 'इस आदमी को भी मार डालो नहीं तो यह भी गवाही दे सकता है।' हालांकि लोगों के आने पर आरोपी भाग गए। घटना को राहगीरों ने देखा और उनकी मदद से बिहारी उसकी बहन को एक वाहन में बदायूँ अस्पताल ले गया। उसकी बहन साधना की अस्पताल में मृत्यु हो गई। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि वह सूचना मिलने पर 11:00 बजे अस्पताल आई थी और अपनी बहन का शव देखकर बेहोश हो गई। रात में ही मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। जब वह होश में आई तो बिहारी ने उसे पूरी घटना बताई। अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के बाद वह अपनी बहन की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने आई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्हें इस पूरी साजिश में पूर्व बीजेपी विधायक योगेन्द्र सागर का भी हाथ होने की आशंका है। इस रिपोर्ट के आधार पर थाना उझानी, जिला बदायूँ में उपरोक्त छः आरोपियों के विरूद्ध धारा 147, 304, 504, 323, 506, 120-बी भा.द.स. के तहत मुकदमा अपराध संख्या 337/2016 दिनांक 24.05.2016 पंजीकृत किया गया।

2.1 इसके बाद 27.05.2017 को, आठ आरोपियों के खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 268/2017 दर्ज किया गया था। उक्त् आठ अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 26.05.2018 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया था और इसका संज्ञान गिरोहबंद अधिनियम, बंदायूँ के विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा 02.07.2018 को लिया गया था।

2.2 ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद अग्रिम अन्वेषण और शिकायतकर्ता द्वारा अन्वेषण अधिकारी को सौंपी गई सह-अभियुक्तों के बीच कॉल रिकार्डिंग के आधार पर, अपीलार्थी-श्रद्धा गुप्ता, उनके पति श्रवण गुप्ता और कमलेश वर्मा का नाम प्रकाश में आया और तदनुसार उन्हें मुकदमा अपराध संख्या 337/2016 में आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

2.3 अन्वेषण के दौरान, यह भी पता चला कि अपीलार्थी- श्रद्धा गुप्ता, उनके पति- श्रवण गुप्ता और कमलेश शर्मा भी मृतक साधना शर्मा की हत्या की साजिश से संबंधित अपराध में शामिल थे। इसलिए, उपरोक्त तीन आरोपी व्यक्तियों, श्रद्धा गुप्ता, श्रवण गुप्ता और कमलेश शर्मा के खिलाफ पूरक आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। बाद में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बंदायूँ के संज्ञान में यह लाया गया कि गिरोहबंद अधिनियम, 1986 के तहत मामला केवल आठ आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया है और मुकदमा अपराध संख्या 337/2016 में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।

2.4 तत्पश्चात् अपीलार्थी एवं अन्य दो अभियुक्तों के विरूद्ध गिरोह नक्शा तैयार किया गया जिसे दिनांक 19.03.2019 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद बदायूँ को भेजा गया। इसके बाद संयुक्त निदेशक (अभियोजन), बदायूँ ने 01.04.2019 को उपरोक्त तीन व्यक्तियों के खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत मामला दर्ज करने की मंजूरी दे दी। एस.एस.पी., बदायूँ ने दिनांक 02.04.2019 को संचार के माध्यम से अन्वेषण अधिकारी को सूचित किया और तदनुसार दिनांक 27.05.2019 को अपराध संख्या 268/2017 धारा 2/3 गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत एफ.आई.आर. अपीलार्थी एवं दो अन्य सह-अभियुक्तों के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम दायर/पंजीकृत की गई है। इस प्रकार, गिरोहबंद अधिनियम के तहत अपराध के लिए एफ.आई.आर. कुल मिलाकर ग्यारह आरोपियों के विरूद्ध दर्ज किया गया है (आठ आरोपियों पर पहले आरोप लगाया गया था और अपीलार्थी सहित तीन आरोपियों पर बाद में आरोप-पत्र दायर किया गया था)।

2.5 यह कि अपीलार्थी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष हस्तगत आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 21964/2019 दायर की और निम्नलिखित अनुतोष के लिए प्रार्थना की :

i) प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.6.2019 और 2.4.2019 को निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

ii) धारा 2/3 गिरोहबंद अधिनियम, आरक्षी केन्द्र उझानी, जिला बदायूं मुकदमा अपराध संख्या 268/2017 की प्रश्नाधीन एफ.आई.आर. दिनांक 27.05.2017 को केवल याचिकाकर्ता की सीमा तक निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

iii) मुकदमा अपराध संख्या 268/2017 धारा 2/3 गिरोहबंद अधिनियम, आरक्षी केन्द्र उझानी, जिला बदायूँ में प्रत्यर्थीगण क्र. 2 व 3 को परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार न किया जाए।

2.6 अपीलार्थी की ओर से प्रकरण यह था कि मामले में उसे झूठा फंसाया गया है; एफ.आई.आर. में उसका नाम नहीं था; एफ.आई.आर. में उसका कोई कृत्य निर्दिष्ट नहीं किया गया है; उसका नाम द.प्र.स. की धारा 173(8) के तहत अग्रिम अन्वेषण में सामने आया है; वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बंदायू ने दुर्भावनापूर्वक उसके विरूद्ध जिला दण्डाधिकारी बंदायू द्वारा अनुमोदित पूरक गिरोह नक्शा प्रस्तुत किया; किंतु घरेलू महिला होने के कारण वह न तो गिरोह की सरगना है और न ही गिरोह की सदस्य है। अपीलार्थी– अभियुक्त की ओर से यह भी मामला था कि केवल एक एफ.आई.आर./आरोप-पत्र के आधार पर, उस पर गिरोहबंद अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराधों के लिये आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

2.7 यह कि आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को निरस्त कर दिया है और गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2/3 के तहत आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने से इंकार कर दिया है। एक पुनर्विचार याचिका भी दायर की गई थी जिसे भी निरस्त कर दिया गया है।

2.8 उच्च न्यायालय द्वारा द.प्र.स. की धारा 482 के तहत रिट याचिका को निरस्त करने और पुनर्विचार आवेदन को निरस्त करने के आदेश से व्यथित और अंसतुष्ट महसूस करते हुए, आरोपी श्रद्धा गुप्ता ने हस्तगत अपीलों को प्रस्तुत किया है।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री दिव्येश प्रताप सिंह ने, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्क की पुनरावृत्ति की है।

3.1 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह दृढता से प्रस्तुत किया गया है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलार्थी पर गिरोहबंद अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत अपराध के लिये गलत तरीके से मामला दर्ज किया गया है/आरोप लगाया गया है।

3.2 यह तर्क दिया गया है कि किसी भी कल्पना से, अपीलार्थी को 'गिरोहबंद' या 'गिरोह' का सदस्य नहीं कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल एक एफ.आई.आर./आरोप-पत्र के आधार पर और वह भी एक ही हत्या के संबंध में, अपीलार्थी को 'गिरोहबंद' और/या 'गिरोह' का सदस्य नहीं कहा जा सकता।

3.3 यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोपों को समाज विरोधी क्रियाकलापों से संबद्ध नहीं कहा जा सकता जिसके लिए उस पर गिरोहबंद अधिनियम, 1968 की धारा 2/3 के तहत अपराध का आरोप लगाया जाएगा।

3.4 इस न्यायालय के निर्णय पीयूष कांतिलाल मेहता बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद शहर 1989 अनुपूरक (1) एस.सी.सी. 322 पर आधारित करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि केवल ऐसे क्रियाकलाप, जो लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है और/या अनुरक्षण को प्रभावित करने के लिए संभाव्य हैं, को समाज विरोधी क्रियाकलाप कहा जा सकता है।

3.5 गुजरात उच्च् न्यायालय के निर्णय करण सिंह, चेतन सिंह बाघेला बनाम गुजरात राज्य 2021 एस.सी.सी. ऑनलाईन गुजरात 1260 पर आधारित करते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है, निवारक सांविधियों के आह्वान के लिए एकल एफ.आई.आर. को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

3.6 अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि उसे केवल एकाकी मामले के आधार पर गिरोहबंद अधिनियम के तहत संबंधित एफ.आई.आर. में नहीं फंसाया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी को आदतन अपराधी नहीं कहा जा सकता है और वह समाज विरोधी क्रियाकलापों में शामिल नहीं है।

3.7 हस्तगत मामले में, अपीलार्थी को अग्रिम अन्वेषण और पूरक आरोप-पत्र के माध्यम से मामले में फंसाया गया था। इससे पहले आठ व्यक्तियों पर पहले ही गिरोहबंद अधिनियम, 1986 के तहत अपराध सहित आरोप-पत्र दायर किया जा चुका था और विद्वान विशेष न्यायालय ने आठ आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञान लिया था। यह प्रस्तुत किया गया कि बाद में अपीलार्थी और अन्य दो सह-अभियुक्तों को आठ आरोपी व्यक्तियों के साथ फंसाया गया और गिरोहबंद अधिनियम के तहत अपराधों के लिए भी आरोपित किया गया। यह तर्क दिया गया है कि एक बार विशेष न्यायालय ने आठ व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञान ले लिया, उसके बाद वह वर्तमान आरोपियों को फंसाने के लिए मुक्त नहीं थी जिनके खिलाफ बाद में गिरोहबंद अधिनियम के तहत अपराधों के लिए आरोप-पत्र दायर किया गया था।

4. हस्तगत अपीलों का उत्तरप्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार त्यागी और प्रत्यर्थी क्र. 4 (मूल सूचनाकर्ता) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शुवोदीप रॉय द्वारा पुरजोर विरोध किया गया है।

4.1 यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी और दो अन्य आरोपियों पर गिरोहबंद अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत अपराध के लिए सही आरोप लगाए गए हैं।

4.2 यह तर्क दिया गया है कि मामले में, गिरोहबंद अधिनियम के प्रावधानों को गिरोहबंद अधिनियम के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करके और गिरोह नक्शा तैयार करके और उसे उच्च अधिकारियों के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद लागू किया जाता है।

4.3 यह प्रस्तुत किया गया है कि आठ सह-अभिुक्त व्यक्ति, जिनके खिलाफ पहले आरोप-पत्र दायर किया गया था, पहले से ही उसी अपराध के संबंध में गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2/3 के तहत अपराध के लिए आरोपित थे।

4.4 हालांकि आठ आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्रारंभिक आरोप-पत्र दायर किए जाने के बाद अग्रिम अन्वेषण के दौरान अपीलार्थी और दो अन्य आरोपी व्यक्तियों के नाम सामने आए और उन्हें भी आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए उसी अपराध के संबंध में, जब अन्य आरोपी व्यक्तियों पर भी सह-अभियुक्त होने के कारण गिरोहबंद अधिनियम के तहत अपराधों के लिए आरोप लगाए गए थे, और गिरोहबंद अधिनियम, 1986 के तहत 'गिरोह' और 'गिरोहबंद' की परिभाषाओं पर विचार करते हुए अपीलार्थी और अन्य दो सह-अभियुक्तों जिनके खिलाफ बाद में आरोपपत्र दायर किया गया था, पर भी गिरोहबंद अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की आवश्यकता थी। यह आग्रह किया जाता है कि इसलिए अपीलार्थी और अन्य दो सह-अभियुक्तों पर गिरोहबंद अधिनियम के तहत अपराधों के लिए उचित मुकदमा चलाया जा रहा है।

4.5 यह प्रस्तुत किया गया है कि हस्तगत मामले में, यह पता चला कि अपीलार्थी के पिता रामिंद्र नाथ शर्मा की पांच बेटियां थीं और उनका कोई बेटा नहीं था। मृतक साधना शर्मा सबसे बड़ी बेटी थी, जबकि शिकायतकर्ता विपर्णा गौर, प्रत्यर्थी क्र. 4 सबसे छोटी है। स्वर्गीय रामिंद्र नाथ शर्मा अपने पीछे विशाल अचल संपत्ति छोड गए थे और अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि उनके पिता द्वारा छोडी गई संपत्तियों के बंटवारे को लेकर बेटियों के बीच नाना प्रकार के मुकदमे चल रहे थे।

4.6 यह प्रस्तुत किया गया है कि अन्वेषण के दौरान, यह पता चला है कि आरोपी श्रद्धा गुप्ता, श्रवण गुप्ता और कमलेश शर्मा भी मृतक साधना शर्मा की हत्या की साजिश से संबंधित अपराध में शामिल हैं।

4.7 यह इंगित किया गया है कि मुख्य सह-अभियुक्त पी.सी. शर्मा, जो गिरोह का सरगना है, एक खतरनाक अपराधी है। उसका एक संगठित गिरोह है, वह अपने सहयोगियो के साथ, आर्थिक लाभ के उदद्येश्य से मानव शरीर और हत्या से संबंधित अपराधों में लिप्त रहता है और लिप्त होने का कारण बनता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आरोप पत्र में शामिल सभी आरोपियों ने आर्थिक लाभ कमाने के लिए सहमत हुए, मिलीभगत की और मृतक की हत्या की साजिश रची।

4.8 यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी, गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2 (बी) के तहत परिभाषित 'गिरोह' का सदस्य होने के नाते और धारा 2 (बी) में उल्लिखित समाज विरोधी क्रियाकलापों में शामिल होना पाए जाने से, गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2 (सी) में

परिभाषित 'गिरोहबंद' होने के कारण गिरोहबंद अधिनियम के तहत उन अपराधों के लिए भी मुकदमा चलाया जा सकता है।

4.9 यह तर्क दिया गया है कि गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2 (बी) मे उल्लेखित समाज विरोधी क्रियाकलापों के संबंध में, यहां तक कि एकल एफ.आई.आर./आरोप-पत्र के मामले में भी, गिरोहबंद अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। यह आग्रह किया जाता है कि गिरोहबंद अधिनियम के तहत, अन्य कानूनों जैसे, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 और गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2015 की तरह कोई प्रतिबंध नहीं है।

4.10 प्रत्यर्थियों-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इलाहाबाद उच्च् न्यायालय के विभिन्न् निर्णयों पर अत्यधिक मामला आधारित करते हुए, जिसमें उच्च न्यायालय को इसी तरह के मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला और उसने गिरोहबंद अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 2(बी) और 2(सी) पर विचार करते हुए यह दृष्टिकोण अपनाया कि गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2 (बी) में उल्लिखित समाज विरोधी क्रियाकलापों के लिए एकल एफ.आई.आर/चार्जशीट के मामले में भी, एक आरोपी पर गिरोहबंद अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। (आपराधिक विविध आवेदन संख्या 2226/2002, शीर्षक, 'विष्णु दयालविश्वनाथ बनाम यूपी राज्य' है, जिसका निर्णय 15.06.2007 को हुआ; रिट याचिका संख्या 4936/1999, शीर्षक 'रिंकू' @हुक्कू बनाम स्टेट ऑफ यूपी', निर्णय दिनांक 12.01.2000; आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या, 32940/2015, शीर्षक 'मोहित चौधरी बनाम यूपी राज्य', निर्णय दिनांक 10.12.2015; आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 3938/2021, शीर्षक 'रितेश कुमार @ रिक्की बनाम यूपी राज्य', निर्णय दिनांक 5.8.2021; और आपराधिक विविध रिट याचिका सख्या 16164/1994 ,शीर्षक 'अजय राय बनाम स्टेट ऑफ यूपी', निर्णय दिनांक 22.11.1994, का संदर्भ दिया गया है)।

4.11 उपरोक्त तर्कों को देते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, हस्तगत अपीलों को निरस्त करने की प्रार्थना की जाती है।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है।

6. इस न्यायालय के समक्ष जो संक्षिप्त प्रश्न विचार के लिए रखा गया है, वह यह है कि क्या कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2 (बी) में उल्लिखित किसी समाज विरोधी क्रियाकलापों के लिए एकल एफ.आई.आर./आरोप-पत्र दायर की गई है, गिरोहबंद अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, क्या किसी 'गिरोहबंद' द्वारा किया गया एक भी अपराध किसी 'गिरोह' के ऐसे सदस्यों पर गिरोहबंद अधिनियम लागू करने के लिए पर्याप्त है।

7. उपरोक्त मुद्दों/ प्रश्नों पर विचार करते समय गिरोहबंद अधिनियम, 1986 के प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ लेना आवश्यक है। गिरोहबंद अधिनियम, 1986 को लागू करने का उद्देश्य और प्रयोजन गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलापों की रोकथाम, उससे निपटने और उनसे जुडे या प्रासंगिक मामलों के लिए विशेष प्रावधान करता है। धारा 2(बी) 'गिरोह' को परिभाषित करती है और धारा 2(सी) 'गिरोहबंद' को परिभाषित करती है। धारा 2(बी) और धारा 2 (सी) इस प्रकार है:

2(बी) 'गिरोह' का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है, जो लोक-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी (टेम्पोरल), आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से निम्नलिखित समाज विरोधी क्रियाकलाप करते हैं, अर्थात्-

(i) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) के अध्याय 16 या अध्याय 17, या अध्याय 22 के अधीन दण्डनीय अपराध; या

(ii) उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) या नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइक्रोट्रापिक सब्सटैन्सेज ऐक्ट, 1985 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1985) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन कर किसी शराब या मादक या अनिष्टकर मादक द्रव्य या अन्य मादकों या स्वापकों का आसवन या निर्माण या संग्रह या परिवहन या आयात या निर्यात या विक्रय या वितरण या किन्हीं पौधों की खेती करना; या

(iii) विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना या कब्जा लेना, या स्थावर सम्पत्ति पर चाहे स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हक या कब्जा के लिए मिथ्या दावा करना ; या

(iv) किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या रोकने के लिए प्रयत्न करना; या

(v) स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 104 सन् 1956) के अधीन दण्डनीय अपराध ; या

(vi) सार्वजनिक द्यूत अधिनिय, 1867 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1867) की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध; या

(vii) किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय या सार्वजनिक या निजी उपक्रम द्वारा या उसकी ओर से किसी पट्टे या अधिकार के लिए या माल के सम्भरण या किये जाने वाले कार्य के लिए विधिपूर्वक संचालित किसी नीलामी में बोली लगाने या विधिपूर्वक मांगे गये टेण्डर देने से किसी व्यक्ति को रोकना; या

(viii) किसी व्यक्ति को अपने विधिपूर्ण कारबार, वृत्ति, व्यापार या जीविका या उससे सम्बद्ध किसी अन्य विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारू रूप से करने से रोकना या उसमें विघ्न डालना; या

(ix) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 171- ड. के अधीन दण्डनीय अपराध या मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से शारीरिक रूप से रोककर किसी विधिपूर्वक होने वाले किसी सार्वजनिक निर्वाचन को रोकना या उसमें बाधा डालना ; या

(x) अन्य व्यक्तियों को साम्प्रदायिक सामंजस्य में विघ्न डालने के लिए हिंसा करने के लिए उद्दीप्त करना; या

(xi) जनता में दहशत, संत्रास या आतंक फैलाना; या

(xii) सार्वजनिक या निजी उपक्रमों या कारखानों के कर्मचारियों या स्वामियों या अध्यासियों को आतंकित करना या उन पर हमला करना और उनकी सम्पत्ति को हानि पहुँचाना ; या

(xiii) किसी व्यक्ति को इस मिथ्या व्यपदेशन पर कि उसे विदेश में कोई सेवायोजन, व्यापार या वृत्ति उपलब्ध करायी जायेगी, ऐसे विदेश में जाने के लिए उत्प्रेरित करना या उत्प्रेरित करने का प्रयास करना; या

(xiv) फिरौती उद्यापित करने के आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करना; या

(xv)किसी वायुयान या सार्वजनिक परिवहन यानों को उसके पूर्वनिर्धारित मार्ग से जाने से पथान्तरित करना या अन्यथा रोकना;

(xvi) साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(xvii)गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में संलिप्तता;

(xviii) वाणिज्यिक शोषण, बंधुआ श्रम, बालश्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार करना;

(xix) विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(xx) जाली भारतीय करेंसी नोट का मुद्रण, परिवहन और परिचालन करना;

(xxi) नकली दवाओं का उत्पादन, विक्रय और वितरण में अन्तर्ग्रस्त होना;

(xxii) आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5, 7 और 12 के उल्लंघन में आयुध एवं गोला - बारूद के विनिर्माण, विक्रय और परिवहन में अन्तर्ग्रस्त होना;

(xxiii) भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में आर्थिक अभिलाभ के लिये गिराना अथवा वध करना, उत्पादों की तस्करी करना;

(xxiv) आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1979 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(xxv) राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन की गति को भी प्रभावित करने वाले अपराधों में संलिप्त होना।

(ग) 'गिरोहबन्द' का तात्पर्य किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड (ख) में प्रमाणित किसी गिरोह के क्रियाकलाप के लिये, चाहे ऐसे क्रियाकलाप के किये जाने के पूर्व या पश्चात् दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहयता देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रियाकलाप किये हों, संश्रय देता है।''

7.1 गिरोहबंद अधिनियम, 1986 की धारा 3 में शास्ति का प्रावधान है, जो इस प्रकार है:

''3 (1) किसी गिरोहबंद को दोनों में से किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो दो वर्ष से कम न होगी और जो दस वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी जो पॉच हजार रूपये से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।

परन्तु किसी गिरोहबन्द को जो किसी लोक सेवक के शरीर के प्रति या लोक सेवक के कुटुम्ब के किसी सदस्य के शरीर के प्रति कोई अपराध करता है, दोनों में से किसी भॉति के कारावास से ऐसी अवधि के लिये जो तीन वर्ष से कम न होगी और जुर्माने से भी, जो पॉच हजार रूपये से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।

2. किसी ऐसे व्यक्ति का जो लोक सेवक होते हुए चाहे स्व्यं या अन्य के माध्यम से किसी गिरोहबन्द की किसी रीति से अवैध रूप से सहायता या समर्थन, चाहे गिरोहबन्द द्वारा कोई अपराध किये जाने के पूर्व या पश्चात् करता है, या विधिपूर्ण उपाय करने से विरत रहता है या इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय या अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निदेशों को कार्यान्वित करने से जानबूझकर बचता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, किन्तु तीन वर्ष से कम न होगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।''

7.2 गैगस्टर अधिनियम की धारा 5 अधिनियम के तहत अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान करती है। धारा 6 में प्रावधान है कि एक विशेष न्यायालय, यदि वह ऐसा करना समीचीन या वांछनीय समझता है, तो अपनी बैठक या बैठने के सामान्य स्थान के अलावा, किसी भी स्थान पर अपनी किसी भी कार्यवाही के लिए अपनी बैठक आयोजित कर सकता है। अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान है कि गिरोहबंद अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की कोशिश करते समय, एक विशेष अदालत किसी अन्य अपराध की भी सुनवाई कर सकती है जिसके लिए आरोपी पर, उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत,

उसी मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है। गिरोहबंद अधिनियम की धारा 9 के तहत, राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक व्यक्ति को लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। धारा 10 में यह प्रावधान है कि एक विशेष न्यायालय अपने द्वारा विचारणीय किसी अपराध का संज्ञान, विचारण के लिए अभियुक्त को उसे सुपुर्द किये बिना उन तथ्यों का, जिनसे ऐसा अपराध बनता है, परिवाद प्राप्त होने पर, या ऐसे तथ्यों के पुलिस रिपोर्ट पर कर सकता है। धारा 12 में यह प्रावधान है कि किसी अन्य न्यायालय में (जो विशेष न्यायालय न हो) अभियुक्त के विरूद्ध किसी अन्य मामले के विचारण पर विशेष न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के विचारण को पूर्वता दी जाएगी और उसे ऐसे अन्य मामले के विचारण के अधिमान में पहले समाप्त किया जायेगा और तदनुसार ऐसे अन्य मामले का विचारण अस्थगित रहेगा। गिरोहबंद अधिनियम की धारा 13 में प्रावधान है कि जहां, किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद, एक विशेष न्यायालय की राय है कि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है, वहां वह इस बात के होते हुए भी कि उसे ऐसे अपराध का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है, ऐसे अपराध का विचारण करने के लिये मामले को किसी ऐसे न्यायालय को अन्तरित करेगा जिसे संहिता के अधीन अधिकारिता है और वह न्यायालय जिसे मामला अन्तरित किया जाये, अपराध के विचारण के संबंध में कार्यवाही करेगा मानो उसने अपराध का संज्ञान लिया हो।

8. उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि सभी प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि गिरोहबंद अधिनियम के तहत अपराधों को वरीयता दी जानी चाहिए और गिरोहबंद अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए विशेष न्यायालयों द्वारा शीघ्रता से विचारण किया जाना चाहिए।

9. अब जहां तक अभियुक्त की ओर से मुख्य तर्क कि किसी भी समाज विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में एकल अपराध/एफ.आई.आर./आरोप-पत्र के लिए, ऐसे आरोपी पर गिरोहबंद अधिनियम, 1986 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, की बात है तो गिरोहबंद अधिनियम, 1986 के तहत, 'गिरोह' और 'गिरोहबंद' की परिभाषाओं को ध्यान से अध्ययन करने पर यह देखा जा सकता है कि 'गिरोह' एक या एक से अधिक व्यक्तियों का एक समूह है जो अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से परिभाषा खंड में उल्लिखित अपराध करता है, चाहे वह आर्थिक, भौतिक या अन्यथा हो। किसी 'गिरोह' द्वारा किया गया एकल अपराध भी ऐसे 'गिरोह' के सदस्यों पर गिरोहबंद अधिनियम लगाने के लिए पर्याप्त है। गिरोहबंद अधिनियम लागू होने से पहले परिभाषा खंड अपराध की बहुलता को शामिल नहीं करता है।

व्यक्तियों का एक समूह, सामूहिक रूप से या समूह का कोई भी सदस्य अकेले भी गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2 (बी) में उल्लेखित समाज विरोधी क्रियाकलापों में शामिल होकर लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के उद्देश्य से कार्य कर सकता है, जिसे 'गिरोहबंद' कहा जा सकता है। अकेले या सामूहिक रूप से काम करने वाले किसी 'गिरोह' के सदस्य को 'गिरोह' का

सदस्य कहा जा सकता है और वह 'गिरोह' की परिभाषा में आता है, बशर्ते वह गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2 (बी) में उल्लिखित किसी समाज विरोधी क्रियाकलापों में शामिल पाया गया हो।

10. 'गिरोह' की परिभाषाओं के निष्पक्ष अध्ययन पर गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2(बी) में निहित 'गिरोह' और धारा 2(सी) में निहित 'गिरोहबंद' का अर्थ है किसी गिरोह का सदस्य या नेता या आयोजक, जिसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है, जो, धारा 2 के खंड (बी) में उल्लेखित गिरोह के क्रियाकलापों को बढ़ावा देता है या सहायता करता है, जो या तो अकेले या सामूहिक रूप से कार्य करता है और धारा 2(बी) में उल्लिखित किसी भी समाज विरोधी क्रियाकलापों में शामिल होता है, कहा गया है कि उसने गिरोहबंद अधिनियम के तहत अपराध किया है और उस पर गिरोहबंद अधिनियम के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। गिरोहबंद अधिनियम, 1986 के तहत कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जैसा कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 और गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2015 के तहत विशिष्ट प्रावधान है कि गिरोहबंद अधिनियम के तहत किसी आरोपी पर मुकदमा चलाते समय, एक से अधिक अपराध या एफ.आई.आर./आरोप-पत्र होना चाहिए। विधि की स्थापित स्थिति के अनुसार कानून के प्रावधानों को ज्यों का त्यों पढ़ा और माना जाता है। इसलिए गिरोहबंद अधिनियम, 1986 के तहत प्रावधानों पर विचार करते हुए, एकल अपराध/एफ.आई.आर./आरोप-पत्र के मामले में भी, यदि यह पाया जाता है कि आरोपी एक 'गिरोह' का सदस्य है और गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2(बी) में उल्लिखित समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल है जैसे हिंसा या धमकी, या हिंसा का प्रदर्शन, या डराना, या जबरदस्ती या अन्यथा लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करना या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से क्रियाकलाप करना और उसे अधिनियम की धारा 2(सी) की परिभाषा के भीतर 'गिरोहबंद' कहा जा सकता है, उस पर गिरोहबंद अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए, जहां तक गिरोहबंद अधिनियम, 1986 का सवाल है, अधिनियम की धारा 2(बी) में उल्लिखित किसी भी समाज विरोधी क्रियाकलापों जो लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उदद्येश्य से हिंसा, या धमकी या हिंसा का प्रदर्शन, या धमकी, या जबरदस्ती या अन्यथा क्रियाकलाप करते हैं, के लिए एकल अपराध/एफ.आई.आर./आरोप-पत्र के मामले में भी किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है।

11. हस्तगत मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि मुख्य आरोपी एक गिरोह का सरगना था और जो मास्टरमाइंड था और उसने आर्थिक लाभ के लिए मृतक एस की हत्या करने के लिए अपीलार्थी सहित अन्य सह-अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश रची थी क्योंकि

परिवार के सदस्यों के बीच लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अन्य सह-अभियुक्तों पर पहले से ही गिरोहबंद अधिनियम के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर था/मुकदमा चलाया गया था और इसलिए अपीलार्थी और अन्य दो सह अभियुक्तों पर भी 'गिरोह' के सदस्य होने के नाते अन्य सह-अभियुक्तों की तरह गिरोहबंद अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की आवश्यकता थी। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि गिरोहबंद अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ कोई अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता है।

12. उपरोक्त विवेचना के दृष्टिगत तथा ऊपर बताए गए कारणों से, उच्च न्यायालय ने धारा 482 द.प्र.स. के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गिरोहबंद अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत अपीलार्थी-अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने से उचित रूप से इनकार कर दिया है। हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है। इन परिस्थितियों में, वर्तमान अपीलें विफल हो जाती हैं और वे निरस्त किए जाने योग्य हैं और तदनुसार निरस्त की जाती है।

अपील निरस्त
अंकित ज्ञान
(सहायकः राहुल राठी, एल.सी.आर.ए.)

विश्व दीपक तिवारी, सप्तम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सतना, म.प्र. के द्वारा अनुवादित